संख्या–366/XVI(1)/09/9(39)/130/2003

प्रेषक,

विनोद फोनिया
सचिव उद्यान,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड
उद्यान भवन, चौबटिया–रानीखेत।

उद्यान एवं रेशम अनुभाग–1 देहरादून दिनांक : 16 अप्रैल, 2009

विषय : मौसम आधारित सेब फसल बीमा योजना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है, कि उत्तराखण्ड राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों एवं शीतोष्ण जलवायु फल उत्पादन के लिये उपयुक्त होने के दृष्टिगत राज्य के बहुतायत क्षेत्रों में शीतोष्ण फल सेब का उत्पादन किया जा रहा है। सेब की उत्पादकता मौसम के कारकों के प्रति अतिसंवेदनशील है। मौसम कारकों का सेब उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के कारण बहुधा काश्तकारों को वांछित आर्थिक लाभ नहीं मिल पाता है। अतएव मौसम कारकों की अनिश्चितता के कारण काश्तकारों को सम्भावित आर्थिक क्षति से बचाये जाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2007–08 में पायलट आधार पर मौसम आधारित सेब फसल बीमा **"उत्तराखण्ड सेब बीमा योजना"** के नाम से एक वर्ष के लिए लागू की गई, जिसमें शीतता का अभाव, तापमान का उतार–चढाव,वर्षा की मात्रा तथा ओलावृष्टि कारकों को सम्मिलित किया गया था। यह योजना एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय,देहरादून के माध्यम से क्रियान्वित की गई।

2– **"उत्तराखण्ड सेब बीमा योजना"** के विगत वर्ष के क्रियान्वयन के अनुभवों के दृष्टिगत एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड, द्वारा मात्र ओलावृष्टि घटक को आच्छादित करते हुए मौसम आधारित सेब फसल बीमा योजना निम्न प्राविधानों के साथ प्रस्तुत की गई है:–

(1) यह सेब बीमा योजना पूर्णतः सेब उत्पादकों द्वारा भुगतान किये जाने वाले वास्तविक प्रीमियम के आधार पर लागू की जायेगी। योजनान्तर्गत काश्तकारों/ फलोत्पादकों को बीमित किये जाने, उनसे बीमा प्रीमियम प्राप्त किये जाने, बीमा क्षतिपूर्ति का निर्धारण किये जाने तथा क्षतिपूर्ति दावे का भुगतान किये जाने की पूर्ण जिम्मेदारी एग्रीकल्चर इंश्योरेन्स कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड की होगी।

(2) यह योजना पूर्णरूपेण एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड की ही होगी, तथा बीमा कम्पनी के क्षेत्रीय कार्यालय 56, राजपुर रोड (होटल क्लासिक के पीछे), देहरादून के द्वारा संचालित की जायेगी। इस योजना के लिए राज्य सरकार के द्वारा बीमा कम्पनी तथा सेब उत्पादकों को किसी तरह की वित्तीय सहायता नही दी जायेगी। राज्य सरकार/उद्यान विभाग द्वारा इस बीमा योजना के क्रियान्वयन हेतु मात्र लौजिस्टिक सहयोग ही बीमा कम्पनी को प्रदान किया जायेगा।

..2/–

(3) बीमा कम्पनी द्वारा प्रस्तावित सेब बीमा योजना के अन्तर्गत ओलावृष्टि घटक के लिए वास्तविक प्रीमियम एवं बीमित राशि का निर्धारण निम्नानुसार किया गया है:–

क्र0 सं0	बीमा घटक	वृक्ष की आयु के अनुसार प्रीमियम दर प्रति वृक्ष @ 16 % + सर्विस टैक्स @ 10.3 % (धनराशि रूपये में)		कुल बीमित धनराशि प्रति वृक्ष (रुपये में)	
		05–14 वर्ष	15–40 वर्ष	05–14 वर्ष	15–40 वर्ष
1.	ओला वृष्टि	35.30	70.60	200	400

बीमा कम्पनी द्वारा बीमा प्रीमियम व बीमा प्रस्ताव के लिए पेड़ों की संख्या व उम्र की,राजस्व अभिलेखों के साथ–साथ उद्यान विभाग के सचल दल केन्द्र द्वारा दिये गये अभिलेख / सत्यापन के आधार पर पुष्टि की जायेगी।

(4) बीमा कम्पनी द्वारा ओलावृष्टि से हुए क्षतिपूर्ति भुगतान का निर्धारण निम्नानुसार किया गया है:–

क्र0 सं0	समयावधि	अधिकतम भुगतान स्लैब (बीमित राशि का प्रतिशत)
1	21 अप्रैल से 04 मई	50 %
2	05 मई से 18 मई	25 %
3	19 मई से 01 जून	15 %
4	02 जून से 15 जून	10 %

(5) फल उत्पादकों / काश्तकारों द्वारा सम्बन्धित क्षेत्र में ओलावृष्टि होने की सूचना लिखित रूप में बीमा कम्पनी के क्षेत्रीय कार्यालय **(दूरभाष संख्या–0135–2740233 / टेली फैक्स–2740244 तथा ईमेल kkgupta@aicofindia.org, debradun.ro@ aicofindia.org वेबसाइट- www.aicofindia.org)** को तात्कालिकता से दी जायेगी, ताकि सम्बन्धित क्षेत्र में ओलावृष्टि से सेब फसल को हुई क्षति का आंकलन शीघ्रता से किया जा सकें।

(6) उक्त सेब बीमा योजना की विस्तृत जानकारी एवं अन्य दिशा–निर्देश / शर्ते एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय 56, राजपुर रोड (होटल क्लासिक के पीछे), देहरादून तथा सम्बन्धित जनपद के जिला उद्यान अधिकारियों के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। इस हेतु बीमा कम्पनी के सम्पर्क प्रतिनिधि श्री के0के0गुप्ता, क्षेत्रीय प्रबन्धक,एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय 56, राजपुर रोड (होटल क्लासिक के पीछे), देहरादून **(दूरभाष संख्या–0135–2740233 / टेली फैक्स–2740244 तथा ईमेल kkgupta@aicofindia.org, debradun.ro@ aicofindia.org वेबसाइट- www.aicofindia.org)** हैं।

3– उक्त सेब बीमा योजना के अन्तर्गत दावों के निस्तारण हेतु सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जायेगा। इस समिति में उद्यान विभाग, राजस्व विभाग, कृषि विभाग तथा ग्राम्य विकास विभाग के सक्षम अधिकारियों के साथ–साथ एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड के प्रतिनिधि को भी सम्मिलित किया जायेगा। इस समिति के सदस्य–सचिव सम्बन्धित जिला उद्यान अधिकारी होंगे। समिति के द्वारा सम्बन्धित क्षेत्र में ओलावृष्टि होने अथवा नहीं होने की पुष्टि की जायेगी तथा प्रभावित बीमित पेडो की संख्या, प्रभावित क्षेत्रफल तथा नुकसान के प्रतिशत का निर्धारण करते हुए

..3 / –

रिपोर्ट तैयार की जायेगी। समिति की रिपोर्ट/संस्तुति के आधार पर ही बीमित सेब उत्पादकों के दावा राशि का निर्धारण एवं भुगतान किया जाएगा। दावा निस्तारण करते समय उत्पादन में वास्तविक ह्रास अथवा नुकसान का आधार लिया जायेगा।

4– सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय मॉनिटरिंग समिति का गठन भी किया जायेगा। इस समिति में जिलाधिकारी अध्यक्ष, जिला उद्यान अधिकारी सदस्य–सचिव, तथा एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय, 56, राजपुर रोड,होटल क्लासिक के पीछे, देहरादून के प्रतिनिधि सदस्य के रूप में नामित किये जायेंगें। यह समिति योजना की मासिक प्रगति की समीक्षा के साथ–साथ सम्बन्धित क्षेत्र के खण्ड विकास अधिकारियों एवं बहुद्देशीय कर्मियों की योजना में सक्रिय सहभागिता हेतु प्रभावी निर्देश भी निर्गत करेगी।

5– बीमा प्रीमियम निर्धारण, क्षति–पूर्ति दावा निर्धारण तथा फल उत्पादकों को क्षतिपूर्ति दावे के भुगतान के सम्बन्ध में यदि किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है,तो इसके लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड ही पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

6– अधिसूचित जनपदों में योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय 56, राजपुर रोड (होटल क्लासिक के पीछे), देहरादून द्वारा किया जाएगा।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि कृपया उक्त सेब बीमा योजना के कियान्वयन हेतु बीमा कम्पनी को यथा–आवश्यक लॉजिस्टिक सहयोग उपरोक्तानुसार प्रदान किये जाने के लिए सम्बन्धित जिला उद्यान अधिकारियों को तत्काल स्पष्ट दिशा–निर्देश जारी करते हुए कृत कार्यवाही से बीमा कम्पनी एवं शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(विनोद फोनिया)
सचिव।

संख्या– 366 /XVI(1)/09/9(39)/130/2003,तददिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. प्रमुख सचिव, कृषि/राजस्व/वित्त, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5. सचिव, कृषि/नियोजन विभाग/सहकारिता विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
6. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढवाल मण्डल, पौड़ी।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि, कृपया उक्त सेब बीमा योजना के सफल कियान्वयन हेतु उपरोक्तानुसार आपकी अध्यक्षता में प्रस्तावित समितियों का गठन कराते हुए तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही भी सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
8. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. कृषि निदेशक, कृषि निदेशालय, नंदा की चौकी, प्रेमनगर, देहरादून।
10. निदेशक, भारतीय मौसम विभाग, क्षेत्रीय केन्द्र, सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे चौक, 17–ई0सी0 रोड, देहरादून।
11. निदेशक, मण्डी, उत्तराखण्ड, नवीन मण्डी स्थल, बरेली रोड, देहरादून।

–4/–

12. श्री एम0प्रसाद, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, एग्रीकल्चर इंश्योरेन्स कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, 13 वीं मंजिल, अम्बाद्वीप बिल्डिंग, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली।
13. श्री के0 के0 गुप्ता क्षेत्रीय प्रबन्धक, एग्रीकल्चर इंश्योरेन्स कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, 56, राजपुर रोड (होटल क्लासिक के पीछे), देहरादून।
14. समस्त जिला उद्यान अधिकारी, उत्तराखण्ड।
15. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
16. प्रभारी, मीडिया सैन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
17. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जी0एस0पाण्डे)
अपर सचिव।

251